

Planned Social Concern

सदस्य संरक्षण सिद्धान्त (Client Protection Principles)

विगत कई वर्षों के अनुभव के आधार पर वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली सस्थाओं को अपने कम आय के सदस्यों के लिए निम्न दिशा निर्देश (**Code of conduct**) जारी किये है जिन्हे मूल सिद्धान्त, अपनाना सभी लघु वित्त सेवा प्रदान करने वाली सस्थाओ जरूरी है। पीएससी RBI के सुझाये गये सभी निर्देशों का मानती है व उनको पूरी तरह लागु करने के लिए कटिबद्ध है।

1. अधिक ऋणग्रस्ता से बचाव (Avoidance of Over-Indebtedness)

पीएससी के लिए आवश्यक है कि जिन सदस्यों को सस्थां ऋण उपलब्ध करा रहे है उन पर अधिऋणग्रस्तता न हो। साथ ही ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो ऋण व ले रहे है उसको पुरा चुकाने की क्षमता उनमें हो। पीएससी ऋण बाटने से पूर्व हर सदस्यों की क्रेडिट ब्युरो से उस पर चल रहे ऋण की जाँच की जाती है।

2- पारदर्शी मूल्य निघारण (Transparent Pricing)

पीएससी के लिए आवश्यक है कि वो जो सेवा (ऋण, बीमा आदि) अपने सदस्यों को प्रदान करा रही है और उन सेवाओं के बदले जो सेवा शुल्क ले रही है ,उसकी पुरी जानकारी सदस्यों को होनी चाहिए एवं साथ यह भी आवश्यक है कि इस मूल्य निघारण की प्रकिया स्पष्ट व पारदर्शी हों।

3- स्टाफ का नैतिक व्यवहार (Ethical Staff Behaviour)

पीएससी के स्टाफ के लिए आव यक है कि वो सदस्यों के साथ मार्यदित भाषा में सम्मान बात करे साथ ही उनसे जो किस्त वसुली जाये वह सभी सदस्य की उपस्थिति में हो व समय भी तय व उपयुक्त हो।

4- गोपनीयता का अधिकार (Confidential)

पीएससी के लिए आव यक है वो अपने वर्तमान व पूर्व सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखे। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था को सदस्यों की जानकारी नही दी जाये। लेकिन पीएससी ये जानकारी क्रेडिट ब्युरो, बीमा कम्पनी एवं बैंकों को देने के लिए जवावदेह है।

5. शिकायत निवारण (Grievance Redress)

पीएससी का दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे कि उसके सदस्यों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यदि किसी सदस्य को पीएससी के किसी स्टाफ से या कार्यक्रम से कोई परे ानी है तो वो सीधे क्षेत्रिय कार्यालय में फोन या पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकती है। सारी शिकायत को दर्ज कर सदस्य को पूरी तरह से सन्तुष्ट किया जायेगा , यदि शिकायत किसी स्टाफ के व्यवहार को लेकर हुई तो उस की जाँच कर सम्बधित स्टाफ पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए पीएससी प्रतिबद्ध है।

6- सामाजिक मूल्य का दैनिक कार्य में समायोजन (Integrating Social Values Into Operations)

पीएससी के लिए आवश्यक है कि वो अपने दैनिक कार्य में सामाजिक मूल्यों का सम्मलित करे जिसमे कि प्रबन्धन, रिपोटिंग, प्रशासन व भागीदारी शामिल है।

7- Feed back

पीएससी के लिए आवश्यक है कि वो अपने सदस्यों को उनकी दक्षता बडाने के लिए उन्हे उपयुक्त Feed back दे। साथ ही उनको ऐसे सुझाव के लिए औपचारिक व अनौपचारिक चैनल प्रदान करती है।